198

पुनरीक्षण प्रकरण क्र० /२०११-१२

मानवीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

R 598 – PBR/12

कृष्णासिंह पिता रामसिंह जपूत
निवासी ग्राम कलारिया, तहसील व
जिला इन्दौर -- प्रार्थी

विरुद्ध

१- श्रीमती समनबाई बेवा बनेसिंह राजपूत
२- राजेश पिता बनेसिंह राजपूत
३- कुंदनसिंह पिता बनेसिंह राजपूत
तीनों निवासी ग्राम कलारिया, तहसील
व जिला इन्दौर
४- मुल्ला राजावली इस्माईल
निवासी ४६, बोहरा बाजार, एशियन
पेन्ट्स, इन्दौर -- प्रतिप्रार्थीगण

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण धारा २५०
भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत

पुनरीक्षण याचिका धारा ५० मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत

श्री लाखनसिंह चौधरी, अपर तहसीलदार, तहसील इन्दौर व्दारा राजस्व प्रकरण क्र० ६/अ-७०/२००६-१० में पारित प्रोसीडिंग आदेश दिनांक २४/०२/२०१२ से असन्तुष्ट एवम् दुखी होकर प्रार्थी यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथा अन्य आधारों पर, नियत समयावधि में, योग्य मुद्रापत्रों पर सादर प्रस्तुत करता है -

आ धा र

(१) यह कि विव्दान अपर तहसीलदार व्दारा पारित आलोच्य आदेश विधि-विधान तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के पूर्णतः प्रतिकूल होने से स्थिर रखा जाने योग्य नहीं है।

(२) यह कि विव्दान अपर तहसीलदार महोदय व्दारा प्रकरण में इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया है कि दि० १२/०१/२०१२ को

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 598-पीबीआर/2012 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री सुनील चौधरी उपस्थित। अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 की ओर से श्री के0सी0मंहत, अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	